न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/49/2021	17-09-2021	17.08.2022

01- लक्ष्मी देवी पत्नि रामकरण जाति मीना निवासी मंगोलाकी पुलिस थाना खेरली तहसील कठूमर जिला अलवर जरिये मुख्त्यारआम रामकरण पुत्र हरचन्द जाति मीना निवासी मंगोलाकी तहसील कठूमर जिला अलवर (राजस्थान)

—: अपीलाण्ट

बनाम

01- पूरण पुत्र परमा,
02- विमला पत्नि पूरन,
03- अनिल पुत्र पूरन,
04- गोविन्द पुत्र पूरन,
05- मंजू पत्नि अनिल,
06- ममता पत्नि गोविन्द,
07- मिट्टू पुत्र मोती,
08- गीता पत्नि मिट्टू,
09- हेमराज पुत्र मिट्टू,
10- सेड़या उर्फ कल्लू पुत्र मोती,
11-रामपति पत्नि सेड़या उर्फ कल्लू,
12- विश्वेन्द्र पुत्र सेड़या उर्फ कल्लू जातियान माली निवासीगण मंगोलाकी तहसील कठूमर जिला अलवर (राजस्थान)
13- तहसीलदार कठूमर।

रेस्पोंडेन्टान

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार कठूमर दिनांक 13.08.2021 धारा अन्तर्गत 183 <u>बी</u> आर.टी.एक्ट के तहत प्रकरण संख्या 06/2021

उपस्थित—

01—श्री दलेर सिंह —वकील अपीलाण्ट
02— श्री जगदीश नादान —वकील रेस्पोंडेन्ट्स
03—श्री दीपक मीना —राजकीय अभिभाषक

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

<u>निर्णय</u>

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार कठूमर के आदेश दिनांक 13.08.2021 प्रकरण संख्या 06/2021 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.एक्ट के तहत बेजा तौर पर खारिज किया गया है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत तहसीलदार कठूमर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बउनवान लक्ष्मी देवी बनाम पूरन वगै0 प्रकरण संख्या 06/2021 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा न0 2119/2653 रकबा 0.15 है0 वाके ग्राम गंगोलाकी तहसील कठूमर की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी दर्ज रिकार्ड है। जिस पर प्रार्थीया काविज रहकर काश्त करती है, प्रार्थीया जाति से अनुसूचित जन जाति की महिला है। अप्रार्थीगण स्वर्ण जाति माली के व्यक्ति है, जिनका प्रार्थीया की उक्त आराजी से किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नही है। अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 09 ने उक्त आराजी की डोल तोडकर सरसो की फसल बोकर कब्जा कर लिया है, तथा कटीले तार लगाकर प्रार्थीया को उक्त आराजी में आने जाने से रोक दिया है तथा दिनांक 21.02.2021 को प्रतिवादी संख्या 07 लगायत 09 ने उक्त आराजी में रास्ते के पास रिहायशी मकान बनाने लग गये है, तथा प्रार्थीया की खातेदारी की आराजी पर जबरन कब्जा कर निर्माण कर रहे है, तथा प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 12 ने प्रार्थीयान की उक्त खातेदारी की आराजी पर रास्ते के पास वाले हिस्से पर झौपडी बनाकर पत्थर, रोडी, बजरी, ईट आदि मेटेरियल डालकर नाजायज कब्जा कर लिया है, तथा अप्रार्थी संख्या 01 ने उक्त आराजी पर कटीले तार लगाकर प्रार्थीया के आधे खेत पर कब्जा कर लिया है तथा प्रार्थीया का रास्ता भी बन्द कर दिया है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया की खातेदारी की आराजी पर नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है। प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण से इस अवैध कब्जे को छोडने व निर्माण कार्य रोकने को कहा तो अप्रार्थीण ने मना कर दिया व प्रार्थीया के साथ बेरहमी से मारपीट की गई व मीना कंजरी कह कर अपमानित व प्रताडित किया जाकर यातनाऐं भी दी गयी जिस पर प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण के खिलाफ एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0101/2021 थाना खेरली पर अन्तर्गत धारा 143, 341, 504, 506, 447, 427 ता0 हि0 व धारा 3(1) (डी) 3(2) (वीए) अनु0 जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पंजीबद्ध कराया गया है। प्रार्थीया अनुसूचित जनजाति की महिला है, अप्रार्थीगण स्वर्ण माली जाति के व्यक्ति है। प्रार्थीया की खातेदारी की आराजी पर अप्रार्थीण का कब्जा व कृषि भूमि पर निर्माण करना गैरकानूनी है, व अवैध है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से निर्माण रोकने व उक्त आराजी से कब्जा छोडने को कहा तो अप्रार्थीगण ने कहा कि उक्त जमीन पर हमारा कब्जा हमेशा रहेगा हम कब्जा नही छोडेगें जबकि अप्रार्थीगण को प्रार्थीया की आराजी पर नाजायज कब्जा करने का कोई हक व अधिकार नही है, प्रार्थीया की आराजी से अप्रार्थीगण को वेदखल करने व आराजी का कब्जा प्रार्थीया को दिलाये जाने का निवेदन किया गया जिस पर तहत अदालत ने पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की गयी मौके पर आराजी खसरा न0 2119/2653 रकवा 0.15 है0 खाते पूरणसिंह तरफ पूर्व में काविज है, तथा तरफ पूर्व के पक्का रिहायशी मकान वना हुआ है, तथा आराजी खसरा न0 2119/2653 का 1/2 हिस्सा तरफ पश्चिम में खाली पडा हुआ है, जिस पर अप्रार्थीगण का कब्जा होना वताया

THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

गया है। उक्त रिपोर्ट के तथ्यो पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नही किया गया मिन अपीलान्ट को बिना कोई साक्ष्य सबूत व सुनवाई का अवसर देते हुए दिनांक 13.08.2021 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट साबित नही होने के कारण खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध अपील पेश की है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुए निवेदन किया है, कि ग्राम मंगोलाकी की आराजी खसरा न0 2119/2653 रकबा 0.15 है0 खातेदार लक्ष्मी देवी पत्नि रामकरण जाति मीना हिस्सा पूर्ण दर्ज है, तथा आराजी खसरा न0 2119 रकबा 0.15 है0 खातेदार पूरन दत्तक पुत्र परमा जाति माली हिस्सा पूर्ण नाम दर्ज रिकार्ड है। आराजी खसरा न0 2119 रकबा 0.30 है0 पूरन दत्तक पुत्र परमा हिस्सा 1/4, भगवत पुत्र किशोरी हिस्सा 1/4 , कजोडी पुत्र राम्पत हिस्सा 1/2 कौम माली साकिन खातेदार के नाम था, जिसका सहमति विभाजन इन्तकाल न0 928 दिनांक 19.05.2016 से आराजी खसरा न0 2119 तर्फ उत्तर 0.15 है0 पूरन पुत्र परमा कौम माली साकिन देह खातेदार व आराजी खसरा न0 2119/1 रकबा 0.15 है0 तर्फ दक्षिण भगवत पुत्र किशोरी कौम माली साकिन देह खातेदार जरिये विभाजन इन्तकाल दिनांक 19.05.2016 को स्वीकृत हुआ आराजी खसरा न0 2119/1 रकबा 0.15 है0 तर्फ दक्षिण का नवसृजित खसरा न0 2119/2653 रकबा 0.15 है0 चौसाला जमाबन्दी बनाते समय हुआ आराजी खसरा न0 2119/2653 रकबा 0.15 है0 खातेदार भगवत पुत्र किशोरी कौम माली द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा कमांक 201803214101751 दिनांक 15.10.2018 से बेचान होने पर क्रेता लक्ष्मी देवी पत्नि रामकरण कौम मीना के नाम बेचान इन्तकाल संख्या 1088 दिनांक 05.05.2019 को केता लक्ष्मी देवी पत्नि रामकरण कौम मीना के नाम दर्ज रिकार्ड हुआ उक्त आराजी खसरा न0 2119/2653 रकबा 0.15 है0 तथा 2119 रकबा 0.15 है0 मुताबिक लठासीट तरमीम अनुसार आराजी खसरा न0 2119 रकबा 0.15 तर्फ उत्तर में व आराजी खसरा न0 2119/2653 रकबा 0.15 है0 तर्फ दक्षिण में स्थित है जबकि मौके पर आराजी खसरा न0 2119 रकबा 0.15 है0 खातेदार पूरन दत्तक परमा कौम माली का मौके पर तर्फ पूर्व में काबिज है, जिसमें उक्त आराजी खसरा न0 2119 मुताबिक लठासीट के तरमीम अनुसार तर्फ पूर्व में पहले से ही रहवासी पक्का मकान बना हुआ है। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर में विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 1/60/2021 व आदेशिका दिनांक 16.04.2021 से दिनांक 06.05.2022 की प्रमाणित प्रति वास्ते साक्ष्य हेतु पेश निवेदन किया गया है, कि अपील में वर्णित विवादित आराजी पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर में धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट के तहत राजस्व वाद विचाराधीन है, जिसकी कार्यवाही जेरकार है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है, कि तहत अदालत द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है, अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अपीलान्ट ने अधीनस्थ आदेश दिनांक 13.08.2021 के विरुद्ध यह अपील न्यायालय हाजा को दिनांक ...08.2021 को पेश की गयी है, अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि आराजी खसरा न0 2119/2653 रकबा 0.15 है0 वाके ग्राम मंगोलाकी तहसील कठूमर की कब्जे काश्त खातेदार की आराजी है। जिस पर प्रार्थीया काबिज रहकर काश्त करती है, प्रार्थीया जाति से अनुसूचित जन जाति की महिला है। अप्रार्थीगण स्वर्ण जाति

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

माली के व्यक्ति है, जिनका प्रार्थीया की उक्त आराजी से किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नही है। अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 09 ने उक्त आराजी की डोल तोडकर सरसों की फसल बोकर कब्जा कर लिया है, तथा कटीले तार लगाकर प्रार्थीया को उक्त आराजी में आने जाने से रोक दिया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीया ने तहत अदालत के समक्ष दिनाक 24.02.2021 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर आराजी खसरा न0 2119/2653 रकबा 0.15 है0 ग्राम मंगोलाकी से अप्रार्थीयान को बेदखल किये जाने हेतु पेश किया गया जिस पर रिपोर्ट पटवारी से तलब की गयी मौंके पर आराजी खसरा न0 2119/2653 रकबा 0.15 है0 खाते पूरणसिंह तरफ पूर्व में काबिज है, तथा तरफ पूर्व के पहले पक्का रिहायशी मकान बना हुआ है, तथा आराजी खसरा न0 2119/2653 का 1/2 हिस्सा तरफ पश्चिम में खाली पडा हुआ है, जिस पर अप्रार्थीगण का कब्जा होना बताया गया है, जबकि पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनाक 24.02.2021 के बिन्दू संख्या 1 में सहमति से विभाजन इन्तकाल संख्या 928 का उल्लेख किया गया है। पूर्व खातेदार भगवती से अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी क्रय की गयी है। इसलिए मुताबिक कब्जा विभाजन तर्फ दक्षिण होना चाहिए जिससे स्पष्ट है, कि रेस्पोडेन्टगण अपीलान्ट की आराजी पर अवैध रूप से काबिज है। तहत अदालत द्वारा दिनाक 13.08.2021 को निर्णय पारित कर प्रार्थीया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट प्रार्थीया की अनुपस्थिति में साबित नही होने के करण खारिज किया गया है, जो न्यायोचित नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 13.08.2021 निरस्त किया जाकर तहसीलदार कठूमर को निर्देशित किया जाता है, आराजी खसरा न 2119/2653 रकबा 0.15 है0 में किये गये अवैध कब्जे को हटवाया जाकर प्रार्थीया को कब्जा दिया जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक **17.08.2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में।

17.08.2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)